उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या-51/2018/1660/छप्पन-17-05/1996
लखनऊ : दिनांक : 11 मई, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

नागरिक उड्डयन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की अनुरक्षण, सुरक्षा एवं सामान्य प्रशासन इकाई में मुख्य अभियन्ता के पद पर संविदा के आधार पर कार्यरत श्री शोभित दास की संविदा अवधि दिनांक 02 जुलाई, 2017 को समाप्त हो रही थी, जिसके दृष्टिगत कार्यालय ज्ञाप संख्या-50/2017/713/छप्पन-17-05/96, दिनांक 05 जुलाई, 2017 द्वारा श्री शोभित दास की उक्त पद पर संविदा सेवा अवधि दिनांक 03 जुलाई, 2017 से दिनांक 02 जुलाई, 2018 तक भूतलक्षी प्रभाव से बढ़ाई गई थी। संविदा अवधि समापन की तिथि दिनांक 02 जुलाई, 2017 एवं संविदा अवधि वृद्धि विषयक कार्यालय ज्ञाप दिनांक 05 जुलाई, 2017 के निर्गत होने के बीच निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा दिनांक 03 जुलाई, 2017 के पूर्वान्ह में श्री दास को मुख्य अभियन्ता के पद से कार्यमुक्त कर दिया गया। फलत: उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 05 जुलाई, 2017 द्वारा अभिप्रेत श्री दास की संविदा अवधि की निरन्तरता सम्भव नहीं हो सकी। उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 05 जुलाई, 2017 के क्रम में निदेशक, द्वारा श्री दास को संविदा सेवा पर रूपए 2,75,625/- के नियत मासिक पारिश्रमिक पर दिनांक 07 जुलाई, 2017 को निदेशालय में पुन: कार्यभार ग्रहण कराया गया। इंगित करना है कि नियत मासिक पारिश्रमिक रूपए 2,75,625/- की अनुमन्यता तभी सम्भव है, जब कार्यालय ज्ञाप दिनांक 05 जुलाई, 2017 द्वारा अभिप्रेत श्री दास की संविदा अवधि निरन्तरता निर्बाध रहती।

2- उक्त के दृष्टिगत कार्यालय ज्ञाप दिनांक 05 जुलाई, 2017 को अपास्त करने और समुचित आदेश निर्गत किए जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 05 जुलाई, 2017 को अपास्त करते हुए श्री शोभित दास को नागरिक उड्डयन निदेशालय उत्तर प्रदेश के अधीन अनुरक्षण, सुरक्षा एवं सामान्य प्रशासन इकाई उत्तर प्रदेश, लखनऊ में मुख्य अभियन्ता के पद पर प्रतिमाह अनुमन्य पारिश्रमिक रेंज रूपए 1.50 लाख से रूपए 2.5 लाख में अधिकतम पारिश्रमिक रूपए 2,50,000/- (रूपए दो लाख पचास हजार मात्र) के नियत मासिक पारिश्रमिक पर दिनांक 07 जुलाई, 2017 से अग्रेतर 01 वर्ष की अवधि के लिए, अर्थात् दिनांक 06 जुलाई, 2018 तक संविदा पर नियुक्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3- श्री शोभित दास द्वारा दिनांक 07 जुलाई, 2017 से अब तक आहरित किया गया अतिरिक्त मासिक पारिश्रमिक नियमानुसार इनसे वापस प्राप्त कर लिया जाए। साथ ही प्रकरण में अन्य आनुषंगिक कार्यवाही जो भी आवश्यक और नियमानुसार अपेक्षित हो, निदेशालय स्तर से पूर्ण कर ली जाए।

श्री शोभित दास की संविदा सेवा के सम्बन्ध में अन्य नियम व शर्तें पूर्ववत् जारी रहेंगी।

4- श्री शोभित दास से संविदा पर नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध-पत्र निष्पादित कराकर उसे शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव।

श्री शोभित दास (संविदा),
मुख्य अभियन्ता,
नागरिक उड्डयन निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ।

2:--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या: 51/2018/1660(1)/छप्पन-2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि श्री शोभित दास से निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध-पत्र निष्पादित कराकर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, लखनऊ एयरपोर्ट लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7- कार्मिक अनुभाग-1
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।